न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस.

करण संख्या : 38 / 24 GCMS id : 2024 /63

1. मदनलाल पुत्र गोविन्दा
2. रामलाल पुत्र गोविन्दा
   जाति भील निवासीगण रंगबाड़ी कोटा तहसील लाड़पुरा, कोटा।

बनाम

1. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : श्री रामकिशन वर्मा, वादीगण अभिभाषक
श्री शंभूदयाल विजय प्रतिवादी क्रम–1

निर्णय

दिनांक : 28.07.2025

1. वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादीगण द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया गय जो संक्षेप मे इस प्रकार है :–
   - ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता 2 की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।
   - उपरोक्त भूमि पूर्व मे वादीगण के पिता गोविन्दा का लगातार 60 वर्षो से तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की काश्त से ही वादीगण अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई कृषि भूमि नही है उक्त भूमि ही वादीगण की आजिविका का एक मात्र साधन है। माता नेनगी बाई का स्वर्गवास हो गया है।
   - प्रतिवादी नम्बर 2 ने बिना किसी सूचना दिये अथवा नोटिस जारी किये, अथवा उक्त भूमि की उद्घोषणा जारी किये बिना अथवा मुआवजा दिये बिना अवैधानिक तरीके से धारा 90 बी की कार्यवाही कर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज कर दी है। जो गलत है। नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 पेश है।
   - उपरोक्त भूमि पर वादीगण व उसके पिता का 60 वर्षो से अधिक समय से बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 नाम दर्ज होनें के पश्चात् भी प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई कब्जा नही है बल्कि वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है।
   -
   -
   - वादीगण ने उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि वादीगण के पिता नाथू के खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी नम्बर 2 ने बिना किसी आधार व सूचना के एक तरफा कार्यवाही के प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 कार्यालय मे जाकर उक्त भूमि वादीगण के पिता अथवा उनकी मृत्यु उपरांत वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने को दिनांक 30.04.2024 को कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को वादी की खाते दर्ज करने व खातेदार घोषित करने से इंकार करते हुये प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी।
   - प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटा कर वादीगण की खातेदारी मे

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

खातेदार घोषित नही किया गया तो वादीएगा को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी।

- वाद कारण प्रतिवादीएगा द्वारा उपरोक्त वादीगण के पिता के खातेदारी की भूमि को बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रकार की सूचना व मुआवजे दिये व अवाप्त किये प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज करने पर, तथा वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 02.04.2024 को कहने पर उनके द्वारा इंकार करने पर पैदा हुआ।
- अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि– ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातलाव पटवार हलका लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि जो वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि है, का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।
- ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूट तालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतालाब पटवार हलका लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता की कुल रकबा 0.72 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटायी जाकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती फरमाई जावे। तथा स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतलाव पटवार हलका लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता की कुल रकबा 0.72 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे अथवा आवंटन व अन्य प्रकार से सेट अपाट व अन्तरण व हस्तान्तरण नही करे उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

3. वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –
   (1) प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतलाव प्रदर्श 1 है।
   (2) प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी संवत् 2047–50 ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतलाव प्रदर्श 2 है।

4. *प्रकरण मे प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से निम्नानुसार दावा पेश कर निवेदन किया गया कि–*
   - वादी प्रतिवादी क्रम 1 के यहां नही आया और ना ही उसे कभी कोई धमकी बेदखली वावत् दी गई है। क्योकि मौके पर वादीगण का कब्जा ही नही है तथा वहां पृथक–पृथक भूखण्ड कटे हुये है, इसी वजह से भूखण्ड धारियों की प्रार्थना पर ही उक्त भूमि का ले आउट पास कर धारा 90 बी मे आबादी मे दर्ज की गई है, और वर्तमान मे भूमि आबादी होने से राजस्व न्यायालय मे विचाराधीन वाद ग्रहण किये जाने योग्य नही है क्योकि माननीय न्यायालय को आबादी से संबंधित वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए दावा वादीगण साव्यय खारिज होने योग्य है।
   - विवादित आराजी कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज है। इसलिये दावा माननीय न्यायालय मे चलने योग्य नही है। विवरण विशेष कथन मे दर्ज है। वादीगण किसी प्रकार का मुआवजा पाने के अधिकारी नही है। अत. वाद कारण उत्पन्न नही हुआ।
   - उक्त आराजी एलआर एक्ट की धारा 98 बी के तहत नगर विकास न्यास के खाते दर्ज की गई, उस समय भूमि किशनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा निवासी गुहाटा तहसील केशोरायपाटन के खाते दर्ज थी, यानि वक्त धारा 90 बी के समय भूमि वादीगण के खाते दर्ज नही थी। और यह तथ्य वादीगण ने अपने वाद मे कही भी अंकित नही किया है, इसलिए असत्य एवं झूठे कथनों के आधार पर वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमे वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है, इसलिए दावा वादीगण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।
   - खसरा नम्बर 48 पर मौके पर प्लानिंग हो रही है, व खसरा नम्बर 74 पर मकानात बने हुये है, और मौके पर वादीगण का कोई कब्जा नही है, न ही भूमि कृषि के उपयोग की रही है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड मे भूमि आबादी मे दर्ज है, जो वर्तमान मे कोटा विकास प्राधिकरण के खाते मे दर्ज है इसलिये दावा वादीगण कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा

- आबादी भूमि का मुकदमा रेवेन्यू न्यायालय मे विचारणीय नही है, और इसलिये माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार नही होने से भी दावा वादीगण सव्यय खारिज होने योग्य है।
- उपरोक्त भूमि किशनलाल द्वारा भूखण्डो की प्लानिंग कर पृथक–पृथक भूखण्ड लोगो को विक्रय किये जा चुके है और उन्ही की प्रार्थना पर वैधानिक प्रक्रिया से धारा 90 बी मे भूमि नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हुई है, इसलिये वादीगण किसी प्रकार का कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नही है, तथा वादीगण का वाद का कोई वाद कारण भी उत्पन्न हुये मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया है, जो उचित वाद कारण के अभाव मे खारिज होने योग्य है।

5. दौराने वाद, प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये –

(1) आया विवादित आराजी पर वादीगण व उसके पिता का 60 वर्षो से अधिक समय से बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है।

– वादीगण

(2) प्रतिवादी नम्बर 2 ने अवैधानिक तरीके से धारा 90 बी की कार्यवाही विवादित आराजी को कर प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते दर्ज कर दिया।

–वादीगण

(3) दावा पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ।

–प्रतिवादी–2

(4) उक्त भूमि ले–आउट पास कर 90 बी मे आबादी मे दर्ज कर दी गई।

–प्रतिवादी–2

6. प्रकरण मे वादी अभिभाषक ने अपनी बहस मे दावे के कथनो को दोहराते हुये निम्न निवेदन किया गया।

- ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता 2 की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।
- उपरोक्त भूमि पूर्व मे वादीगण के पिता गोविन्दा का लगातार 60 वर्षो से तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की काश्त से ही वादीगण अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई कृषि भूमि नही है उक्त भूमि ही वादीगण की आजिविका का एक मात्र साधन है। माता नेनगी बाई का स्वर्गवास हो गया है।
- प्रतिवादी नम्बर 2 ने बिना किसी सूचना दिये अथवा नोटिस जारी किये, अथवा उक्त भूमि की उद्घोषणा जारी किये बिना अथवा मुआवजा दिये बिना अवैधानिक तरीके से धारा 90 बी की कार्यवाही कर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज कर दी है। जो गलत है। नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 पेश है।
- उपरोक्त भूमि पर वादीगण व उसके पिता का 60 वर्षो से अधिक समय से बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 नाम दर्ज होनें के पश्चात् भी प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई कब्जा नही है बल्कि वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है।
- वादीगण ने उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि वादीगण के पिता नाथू के खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी नम्बर 2 ने बिना किसी आधार व सूचना के एक तरफा कार्यवाही के प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 कार्यालय मे जाकर उक्त भूमि वादीगण के पिता अथवा उनकी मृत्यु उपरांत वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने को दिनांक 30.04.2024 को कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को वादी की खाते दर्ज करने व खातेदार घोषित करने से इंकार करते हुये प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी।
- प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटा कर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज कर खातेदार घोषित नही किया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी।
- वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादीगण के पिता के खातेदारी की भूमि को बिना

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

किसी आधार के, बिना किसी प्रकार की सूचना व मुआवजे दिये व अवाप्त किये प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज करने पर, तथा वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 02.04.2024 को कहने पर उनके द्वारा इंकार करने पर पैदा हुआ।

- अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि– ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतलाव पटवार हलका लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि जो वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि है, का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।
- ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूट तालाव पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतालाव पटवार हलका लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता की कुल रकबा 0.72 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटायी जाकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती फरमाई जावे। तथा स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतलाव पटवार हलका लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता की कुल रकबा 0.72 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे अथवा आवंटन व अन्य प्रकार से सेट अपाट व अन्तरण व हस्तान्तरण नही करे उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

7. प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपनी बहस मे जबाव दावे के कथनो को दोहराते हुये निम्न निवेदन किया गया।

- वादी प्रतिवादी क्रम 1 के यहां आया और ना ही उसे कभी कोई धमकी बेदखली बावत् दी गई है। क्योकि मौके पर वादीगण का कब्जा ही नही है तथा वहां पृथक–पृथक भूखण्ड़ कटे हुये है, इसी वजह से भूखण्ड़ धारियों की प्रार्थना पर ही उक्त भूमि का ले आउट पास कर धारा 90 बी मे आबादी मे दर्ज की गई है, और वर्तमान मे भूमि आबादी ही होने से राजस्व न्यायालय मे विचाराधीन वाद ग्रहण किये जाने योग्य नही है क्योकि माननीय न्यायालय को आवादी से संबंधित वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए दावा वादीगण सव्यय खारिज होने योग्य है।
- उक्त आराजी एलआर एक्ट की धारा 98 बी के तहत नगर विकास न्यास के खाते दर्ज की गई, उस समय भूमि किशनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा निवासी गुहाटा तहसील केशोरायपाटन के खाते दर्ज थी, यानि वक्त धारा 90 बी के समय भूमि वादीगण के खाते दर्ज नही थी। और यह तथ्य वादीगण ने अपने वाद मे कही भी अंकित नही किया है, इसलिए असत्य एवं झूठे कथनों के आधार पर वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमे वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है, इसलिए दावा वादीगण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।
- खसरा नम्बर 48 पर मौके पर प्लानिंग हो रही है, व खसरा नम्बर 74 पर मकानात बने हुये है, और मौके पर वादीगण का कोई कब्जा नही है, न ही भूमि कृषि के उपयोग की रही है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड मे भूमि आबादी मे दर्ज है, जो वर्तमान मे कोटा विकास प्राधिकरण के खाते मे दर्ज है इसलिये दावा वादीगण कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है।
- आवादी भूमि का मुकदमा रेवेन्यू न्यायालय मे विचारणीय नही है, और इसलिये माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार नही होने से भी दावा वादीगण सव्यय खारिज होने योग्य है। उपरोक्त भूमि किशनलाल द्वारा भूखण्डो की प्लानिंग कर पृथक–पृथक भूखण्ड़ लोगो को विक्रय किये जा चुके है और उन्ही की प्रार्थना पर वैधानिक प्रक्रिया से धारा 90 बी मे भूमि नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हुई है, इसलिये वादीगण किसी प्रकार का कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नही है, तथा वादीगण का कोई वाद कारण भी उत्पन्न हुये बिना मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया है, जो उचित वाद कारण के अभाव मे खारिज होने योग्य है।

8. प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(1) आया विवादित आराजी पर वादीगण व उसके पिता का 60 वर्षो से अधिक

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा

बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण द्वारा विवादित आराजी के कब्जे काश्त के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज (खसरा गिरदावरी) पेश नही किया गया। जिससे यह साबित किया जा सके कि पिछले 60 वर्षो से विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा हो। तथा वादी मदनलाल, व रामलाल द्वारा अपने बयानो मे भी उक्त विवादित आराजी पर काश्त करना नही बताया गया। अतः स्पष्ट है विवादित आराजी पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(2) प्रतिवादी नम्बर 2 ने अवैधानिक तरीके से धारा 90 बी की कार्यवाही विवादित आराजी को कर प्रतिवादी नम्बर-1 के खाते दर्ज कर दिया। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन करने पर स्पष्ट है ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का धर्मपुरा जमाबंदी संवत 2071-74 मे विवादित आराजी नगर विकास न्यास (धारा 90बी) के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र एवं दस्तावेजो से यह साबित नही किया गया कि किस नामान्तरण के आधार पर विवादित आराजी वादीगण के खाते से हटाकर प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते दर्ज की गई। तत्पश्चात् पुनः नामान्तरण की कार्यवाही कर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज की गई। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(3) दावा पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर था। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के दिनांक 02.04.2024 प्रतिवादी से अपने खाते दर्ज करवाने की कहने पर उत्पन्न हुआ। परंतु ना तो वादीगण के बयानो मे वाद कारण का कोई उल्लेख नही है। विवादित आराजी 90 बी की कार्यवाही के समय किशनलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी गुहाटा, तहसील केशोरायपाटन के खाते दर्ज थी। अतः स्पष्ट है वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

(4) उक्त भूमि ले-आउट पास कर 90 बी मे आबादी मे दर्ज कर दी गई। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर था। विवादित आराजी पर पूर्व खातेदार किशनलाल द्वारा भूखण्डो की प्लानिंग कर पृथक-पृथक भूखण्ड लोगो को विक्रय कर देने के कारण वैधानिक प्रक्रिया से धारा 90 बी के तहत भूमि नगर विकास न्यास के खाते मे दर्ज हुई है। चूंकि भूमि आबादी मे होने से तथा विवादित आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध मे कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नही करने के कारण नगर विकास न्यास की 90 बी की कार्यवाही वैधानिक है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

9. प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अंतिम के कथनो पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि -

❖ ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 48 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0.14 हैक्टर, कुल किता 2 की कुल रकबा 0.72 हैक्टर आराजी वादीगण के खाते मे खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी संवत् 2047-50 मे दर्ज है। परंतु मे विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 (धारा 90 बी) के खाते मे वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी के खाते जिस नामान्तरण से दर्ज की गई उस नामान्तरण की अपील वादीगण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिये थी। परंतु वादीगण द्वारा ऐसा नही किया गया। तथा विवादित आराजी 90 बी की कार्यवाही से पूर्व वादीगण के खाते दर्ज न होकर किशनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा निवासी गुहाटा, तहसील केशोरायपाटन के खाते दर्ज थी। परंतु वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के कथन मे इस बाबत् कोई उल्लेख नही किया गया।

  अतः वादी का वाद (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 बाबत् घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा साक्ष्य, उचित दस्तावेज के अभाव मे पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

10 निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28 जुलाई, 2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – हुकम कँवर, R.A.S.

उनवान :–

1. मदनलाल पुत्र गोविन्दा
2. रामलाल पुत्र गोविन्दा
   जाति भील निवासीगण रंगबाड़ी कोटा तहसील लाड़पुरा, कोटा।

– (वादीगण)

बनाम

1. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88,89,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 38/25
निर्णय दिनांक : 28-07-2025

(GCMS id : 2024/63)

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा एवं प्रतिवादी नम्बर–1 अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी (डिक्रीदार) श्रीमती हुकम कँवर, आर.ए.एस. के समक्ष बहस सुनने के उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 28–07–2025 को पेश होने पर वादीगण द्वारा पेश वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा अंतर्गत 88, 89, 188 खातेदारी अधिकारो की घोषणा तथा इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। परंतु विवादित आराजी वर्तमान मे नगर विकास न्यास कोटा (90 बी) के खाते दर्ज रिकॉर्ड है तथा पर्याप्त साक्ष्य व उचित दस्तावेज के अभाव मे दावा पोषनीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

'खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 28 जुलाई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3	अदशी के लिये स्टाम्प		3	प्लीडर के लिये फीस	
4	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4	साक्षियो के लिय निर्वाह–व्यय	
5	साक्षियो के लिये निर्वाह–व्यय		5	आदेशिका की तामील	
6	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		6	कमिश्नर की फीस	
जोड़			जोड़		